संख्या-27/2024/001-214-22-4-2024

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 27 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-35445/आधु-1/20-जेल,सीसीटीवी/22-23, दिनांक 08-12-2023 एवं पत्र संख्या-4758/आधु-1/20-जेल,सीसीटीवी/22-23, दिनांक 20-02-2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में प्रदत्त प्रशासकीय स्वीकृति के अनुक्रम में मल्टी कन्फ्रेसिंग यूनिट की लम्बित देयता हेतु "मैसर्स टेक्योन नेटवर्क्स" के पक्ष में रू0 7,99,703/-, पैनिक अलार्म सिस्टम की लम्बित देयता हेतु "मैसर्स कृष्णाम्भी एसोसिएट्स" के पक्ष में रू0 7,65,234/-, लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम की लम्बित देयता हेतु "मैसर्स चाणक्य सॉल्यूशन्स" के पक्ष में रू0 16,30,080/-, सीसीटीवी व सर्वर आदि की लम्बित देयता हेतु "मैसर्स इन्डेलिबल टेक्नोलॉजी लखनऊ के पक्ष में रू0 1,19,58,200/- एवं वीडियो कान्फ्रेसिंग यूनिट की लम्बित देयता हेतु "मैसर्स टेक्योन नेटवर्क्स" के पक्ष में रू0-9,60,694/- अर्थात कुल धनराशि रू0 161,13,911/- (**रूपया एक करोड़ इकसठ लाख तेरह हजार नौ सौ ग्यारह मात्र**) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-108/2022/909/22-4-2022-48-41-2021, दिनांक 12-09-2022, शासनादेश संख्या-109/2022/866/001-22-4-2022-48-9-2019 दिनांक 13-09-2022, शासनादेश संख्या-112/2022/1133/001-22-4-2022-48-5-2022, दिनांक 14-11-2022, शासनादेश संख्या-113/2022/1134/001-22-4-2022-107-B-2012 टीसी, दिनांक 14-11-2022 एवं शासनादेश संख्या-98/2022/910/001-22-4-2022-119-B-2000 टीसी-8A, दिनांक 27-08-2022 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2024 तक कर लिया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,61,13,911 (रुपये एक करोड़ इकसठ लाख तेरह हजार नौ सौ ग्यारह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-27/2024/001-214-22-4-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।